

इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

Allahabad State University, Allahabad

पत्रांक सं०: इ०रा०वि०वि०/सम्ब०/अनापत्ति/ 114 /2017

दिनांक : 30/06/ 2017

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

शासनादेश संख्या-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1963-1963/सत्तर-2-2013-16(165)/2012 टीसी दिनांक : 11.12.2013 एवं शासनादेश संख्या-710/सत्तर-2-2014 -16(165)/2012 टीसी० दिनांक 14 नवम्बर 2014 के क्रम में गठित अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 30.06.2017 की संस्तुतियों पर सरिता एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम पटखौली, पोस्ट टेऊंगा, जिला प्रतापगढ़, उ०प्र० द्वारा संचालित प्रभात एकेडमी, लोहंगपुर, विहारगंज, प्रतापगढ़ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी०एड० पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों एवं शासनादेश संख्या-772/ सत्तर/-2-2016 -16(116)/2015 टीसी०-11 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के अनुपालन में दिए गए शपथ-पत्र के आधार पर निम्नांकित शर्तों के अधीन अनापत्ति/निर्वाधन प्रदान की जाती है:-

1. यह अनापत्ति संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव जिसमें महाविद्यालय का संचालन ग्राम लोहंगपुर, विहारगंज, परगना व तहसील सदर, जनपद प्रतापगढ़ में स्थित गाटा संख्या- 145, 146 तथा 147 कुल रकबा 0.6320 हे० में निर्मित भवन के लिए ही निर्गत की जा रही है। अन्य भूखण्ड अथवा उल्लिखित भूखण्ड पर महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य संचालित किए जाने की दशा में यह अनापत्ति स्वयं में निरस्त समझी जाएगी।
2. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब संस्था शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002 दिनांक 27.09.2012 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम/विषय में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम/विषय के संचालन हेतु किसी लायबिलिटी से इस विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा तथा संस्था भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी विश्वविद्यालय की होगी।
5. पाठ्यक्रम के संचालन पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार सहायता/राज सहायता की मांग नहीं की जाएगी।
6. संस्था द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति आवेदन- की प्रविष्टियों में भविष्य में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का होगा और अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
7. उक्त पाठ्यक्रम/विषय संचालित किए जाने हेतु निर्मित अनापत्ति के उपरान्त महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम/विषय का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाएगा। सम्बद्धता प्राप्त किए बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम/विषय में प्रवेश की कार्यवाही महाविद्यालय द्वारा प्रारम्भ नहीं की जा सकेगी।
8. यह अनापत्ति संस्था द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अभिलेखों/प्रपत्रों/शपथ-पत्र के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि इसमें भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी एवं इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति स्वयं जिम्मेदार होंगे।

डॉ० (साहब लाल मोर्य)
कुलसचिव

प्रतिनिधि : निम्नालिखित की सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रेष्ठ:-

1. प्रबन्धक/सचिव, प्रभात एकेडमी, लोहंगपुर, विहारगंज, प्रतापगढ़।
2. निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. गार्ड फाइल।

डॉ० (साहब लाल मोर्य)
कुलसचिव